चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर– 208002

पत्रांकः C.S.V- 372 दिनांक 06.08.2024

कोटेशन विज्ञप्ति

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्रांगण के कैफटेरिया भवन के भूतल में छात्र–छात्राओं एवं स्टाफ के स्वल्पाहार व्यवस्था हेतु पूर्व से संचालित कैन्टीन को निम्न नियम एवं शर्तो के आधार पर आवंटित किया जाना हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14.08.2024 के सायं 05:00 बजे तक कोरियर/स्पीड पोस्ट से सम्पत्ति अनुभाग, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. कैन्टीन का संचालन विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं /अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये होगा।
2. कैन्टीन संचालक को वि0वि0 प्रशासन की तरफ से कैन्टीन भवन सुविधा रू0 5,000/– + जी0एस0टी0 दर नियमानुसार पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष किराये में 5 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी की जायेगी ।
3. कैन्टीन संचालक को वि0वि0 नियमानुसार बिजली एवं जल कर का भुगतान प्रतिमाह वास्तविक उपभोग के अनुसार वि0वि0 कोष में जमा कराना होगा।
4. कैन्टीन के संचालन की अवधि प्रथम दो वर्षो के लिए होगी। कैन्टीन संचालक के कार्य एवं व्यवहार तथा गुणवत्ता के संतोषजनक पाये जाने पर एक वर्ष कार्यकाल आगे बढ़ाने की संस्तुति समिति करेगी जिस पर मा0 कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के उपरान्त कार्यकाल बढ़ाया जायेगा।
5. कैन्टीन संचालन के लिए खाने पीने की सामग्री प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा निर्धारित होगी। कैन्टीन में बेचे जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जॉच कैन्टीन संचालन समिति द्वारा कभी भी की जा सकती हैं तथा खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग के अधिकारी द्वारा जॉच की जा सकती हैं।
6. कैन्टीन संचालन हेतु संचालक को कम से कम दो वर्षो का अनुभव होना चाहिए जो कि कुटेशन/निविदा के साथ जमा करना होगा।
7. कैन्टीन संचालन हेतु अनुमोदित फर्म/संचालन हेतु धरोहर धनराशि रू0 50,000/– एवं दुकानों हेतु रू0 5,000/– मात्र का एफ0डी0आर0 सम्पत्ति अधिकारी के माध्यम से अर्थ नियंत्रक, च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, कानपुर के पक्ष में देय होगा एवं अनुबन्ध समाप्त होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के उपरान्त शेष धनराशि ही वापस देय होगा।
8. कैन्टीन में शराब, धूम्रपान तथा अन्य किसी भी मादकपदार्थ का सेवन पूर्णतया वर्जित होगा। यदि कोई व्यक्ति कैन्टीन में शराब, धूम्रपान या मादकपदार्थ का सेवन करता हुआ पाया जाता हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कैन्टीन संचालक की होगी। इसका अनुपालन न करने पर संचालक पर कम से कम रू0 5,000/– का अर्थदण्ड लगाया जा सकता हैं, जो कि संचालक को मान्य होगा। किसी भी विधिक/प्रशासनिक कार्यवाही के लिए कैन्टीन संचालक स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. कैन्टीन खुलने का समय प्रातः 07:30 बजे से सायं 08:30 बजे तक रहेगा। शनिवार दोपहर 02:00 बजे से तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन कैन्टीन बन्द रहेगी।
10. कैन्टीन मे वि0वि0 द्वारा देय समस्त सामग्री/उपकरणों की मरम्मत आदि संचालक को स्वयं करनी होगी और इन्हें चालू हालत में रखनी होगी।
11. कैन्टीन संचालक द्वारा रखे गये श्रमिक को कोई भी संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए व कैन्टीन. संचालक को उन श्रमिकों को हर वर्ष स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वि0वि0 सम्पत्ति अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा श्रमिकों का आचरण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए एवं किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों में भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

12. विश्वविद्यालय द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु निर्धारित नियम व शर्तो का पालन हेतु कैन्टीन संचालक को नोटरी द्वारा सत्यापित रू0 100/- का शपथ पत्र कुटेशन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

13. कैन्टीन में मांसाहारी भोजन /खाद्य सामग्री (अन्डे को छोड़कर) को पकाना/बनाना क्रय-विक्रय करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा एवं कैन्टीन में साफ सफाई रखना संचालक का उत्तरदायित्व होगा।

14. किसी भी प्रकार के वैधानिक विवाद का निराकरण के लिए न्यायालय क्षेत्र कानपुर नगर के अधीन होगा और इस हेतु कोई वाद कानपुर क्षेत्र के बाहर योजित नहीं किया जायेगा।

15. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय निकाय/राज्य शासन द्वारा अधिघोषित नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति/लाइसेंस (FSSAI) संचालक को कोटेशन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा अवधि समाप्त होने पर पुनः FSSAI का नवीनिकरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उसके समस्त कर्मचारी एप्रन (Well Dressed) में रहेगें और सम्बन्धित नियमों का अनुपालन करना होगा।

16. उपरोक्त नियम एवं शर्तो के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकतानुसार नियम एवं शर्तो में विश्वविद्यालय प्रशासनिक समिति द्वारा बदलाव किया जा सकता हैं, जो एजेन्सी/फर्म (संचालक) को मान्य होगा।

17. सम्पूर्ण कुटेशन अथवा कुटेशन का कोई भी अंश बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी /विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा तथा संचालक यदि कैन्टीन छोड़ना चाहता हैं, तो उसे कैन्टीन छोडने की सूचना 01 माह पूर्व देनी होगी।

18. कैफेटेरिया भवन एवं परिसर को सी0सी0टी0वी0 कैमरे से कवर किया जाना एवं उस पर होने वाला व्यय कैन्टीन संचालक द्वारा भुगतान किया जाना। विश्वविद्यालय प्रशासन के बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का नया निर्माण एवं मूलभूत संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार संचालक को नहीं होगा।

संलग्नकः कैन्टीन मैन्यू।

(ए0के0 सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी

<u>पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
3. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(ए0के0 सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी

कैन्टीन में उपलब्ध करायी जाने वाली गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री की सूची जिसमें प्रयोग होने वाली सामग्री की जाँच समय-समय पर की जायेगी।

कम सं0	खाद्य सामग्री	अनुमानित कीमत (रू0)
1.	चाय (100 एम.एल)	
2.	लेमन टी (100 एम.एल)	
3.	ब्लैक टी (100 एम.एल)	
4.	काफी(100 एम.एल)	
5.	ब्रेड् पकौड़ा (75 ग्राम)	
6.	जलेबी (100 ग्राम)	
7.	दही (100 ग्राम)	
8.	समोसा (75 ग्राम)	
9.	खस्ता (50 ग्राम)	
10.	ढोकला (100 ग्राम)	
11.	गुझिया (50 ग्राम)	
12.	बालूशाही (50 ग्राम)	
13.	पकौड़ी (100 ग्राम)	
14.	बूँदी, बेसन लड्डू (30 ग्राम)	
15.	फ्राई राइस (150 ग्राम)	
16.	ब्रेड मक्खन (70 ग्राम)	
17.	काला जाम/रसगुल्ला/छेना (40 ग्राम)	
18.	मैगी (100 ग्राम)	
19.	पेटीज (40 ग्राम)	
20.	वेजीटेबुल सैंडविच (40 ग्राम)	
21.	बर्गर (150 ग्राम)	
22.	कोल्ड्ड्रिंक	
23.	आलू पराठा (100 ग्राम)	
24.	आलू प्याज मिक्स (100 ग्राम)	
25.	पनीर पराठा (100 ग्राम)	
26.	वेज चाउमीन (100 ग्राम)	
27.	पनीर चाउमीन (100 ग्राम)	
28.	पाउ भाजी (1500 ग्राम) प्रति प्लेट	
29.	वेज रेड पास्ता (100 ग्राम)	
30.	वाइट पास्ता (100 ग्राम)	
31.	वेज मंचुरियन (100 ग्राम)	
32.	चिली पनीर (100 ग्राम)	
33.	पूड़ी (04 पीस) सब्जी सहित	

Anyh